

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

15.12.2023

वाद संख्या-59/2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के अन्य प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह, ग्राम-लालगद व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड-विश्रामपुर, जिला-पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के प्रतिनिधि के तौर पर प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, श्री संजय कुमार आयोग कार्यालय में उपस्थित।

इस वाद में आज की सुनवाई में और पिछले सुनवाई में भी श्री कामेश्वर सिंह उपस्थित थे। उनके द्वारा रखे गये पक्ष पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया था। साथ ही पिछले सुनवाई में शिकायतकर्ता को यह निर्देश दिया गया था कि वे उन लोगों की सूची उपलब्ध कराएँ, जिन लोगों को अब तक अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह उपस्थित हैं लेकिन उनका कहना है कि वे शिकायतकर्ता के रूप में मौजूद हैं। ऐसे में आयोग ने जब इस वाद की मूल शिकायत का अवलोकन किया तो पाया कि मूल शिकायत के शिकायतकर्ता में श्री कामेश्वर सिंह का नाम अंकित नहीं है। ऐसे में आयोग श्री कामेश्वर सिंह को निर्देश देता है कि यदि वे शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर सुनवाई में उपस्थित होते हैं, तो श्री राम विकास पाठक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि होने के आशय के पत्र के साथ आयोग की सुनवाई में उपस्थित हुआ करें। शिकायतकर्ता के तौर पर आयोग उनका पक्ष नहीं सुन सकता, क्योंकि शिकायतकर्ताओं की सूची में उनका नाम अंकित नहीं है। इस बीच आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आज की सुनवाई में उपस्थित श्री संजय कुमार, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायत-पत्र की मूल प्रति की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देश देता है कि शिकायत-पत्र में जिन शिकायतों का उल्लेख किया गया और जिन शिकायतकर्ताओं का हस्ताक्षर है, उन सब को यदि जिस कालखण्ड में अनाज नहीं बांटने का उल्लेख किया गया, उस कालखण्ड का यदि उन्हें अनाज उपलब्ध कराया गया है, तो उसका प्रमाण आयोग के समक्ष पेश करें। अन्यथा उन सभी शिकायतकर्ताओं जिन्होंने शिकायत-पत्र में हस्ताक्षर किया है, उन्हें सवा गुना मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग में पेश करें।

मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक-11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे। दिनांक-11.01.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।